

FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर, मुकाम...खीवसर...

मूलाराम बनाम रामनिवारा


किरम मुकदमा...वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 राज. काश्त. अधिनियम खातेदारी

घोषणा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु. नं. 144 सन्. 2018

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	09.10.2018	

वादी ने जरीये वकील प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 राज. काश्त. अधिनियम बाबत वाद के तहत प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.11.2018 को पेश हो।


सहायक कलक्टर
खीवसर


28.11.18

~~कलक्टर/पसकारान के अधिकारता उपरि~~
उक्त

पीडित/पसकारान के अधिकारता उपरि
प्रमाण/प्रमाण के अभाव में/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण के अभाव में/अवकाश पर गये हुए
प्रमाण/प्रमाण के अभाव में/प्रमाण/प्रमाण के अभाव में/अवकाश पर गये हुए
प्रमाण/प्रमाण के अभाव में/प्रमाण/प्रमाण के अभाव में/अवकाश पर गये हुए

9-1-19

पत्रावली पेश करी गयी है
प्रतिवादीगण की वकील को
पत्र पेश करे, किन्तु वकील
केसु बिने 27.3.19 को -

पेश करे

सहायक कलक्टर
(SDO), खीवसर


क
अ
क

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

14/9/22


पत्रावली पेश। अपूर्ण सत्य 2, 7, 26
के नोटिस बाद शामिल बात, शीव अपूर्ण
की तबली आगामी पेशी पर सावधान रूप
से पेश करे सहायक आगामी कार्यवाही
की जावेगी। पत्रावली तबली हेतु दिनांक
9/11/22 को पेश है।


सहायक क्लर्क
(एस.डी.ओ.) बीकानेर

9-11-22

पत्रावली पेश हुई। वजुजाय उपस्थित
वादी एवं प्रतिवादी जण को धार-धार
आवाज दी गयी भगर गैर हाफिर
अन्य इन्हे विरुद्ध सब पक्षीय कार्यवाही
अमल में जारी गयी। धार-2 आवाज
देने के पश्चात कोई भी उपस्थित नहीं
होने के कारण उक्त प्रकरण को अंत
अदम पेशी- अदम हाजरी में रजिस्ट्रि
लिया जा रहा है। वादी के विरुद्ध पर डन
Reopen रिमाइना है।

पत्रावली फंडाल सुमार होकर नम्बर
के डन होकर बाद जाया शामिल दफतर
है।


सहायक क्लर्क
(एस.डी.ओ.) बीकानेर